

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक/५७। /अति.जि.दण्डा./2020

दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर, 2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संकामक विमारी है। इस विमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 600/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 31.5.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर दिनांक 16 अगस्त, 2020 तक सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा-144 लागू की गयी है।

2/- जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं उससे लगे ग्राम पंचायतों में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि इस संकामक वीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें। छ.ग.शासन के द्वारा भी पत्र क्रमांक एफ-५७/२०२०/सत्रह/एक नवा रायपुर, दिनांक 17.7.2020 के माध्यम से रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराये जाने को अनिवार्य घोषित किया गया है।

अ. अतएव महामारी रोग अधिनियम, 1897 के सन्दर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/२०२०/१७-१, दिनांक 13.3.2020 के अन्तर्गत दिये गये शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दुर्ग जिले के समस्त नगरीय निकाय एवं उससे लगे प्रभावित ग्राम पंचायतों में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/५२२/अति.जि.दण्डा./२०२० दुर्ग दिनांक 20 जुलाई 2020 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक/५३५/अति.जि.दण्डा./२०२० दुर्ग दिनांक 28 जुलाई 2020, कार्यालयीन आदेश क्रमांक ५४५/अति.जि.दण्डा./२०२० दुर्ग, दिनांक 6 अगस्त 2020 एवं आदेश क्रमांक ५६०/अति.जि.दण्डा./२०२० दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त, 2020 के माध्यम से जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में संक्रमण के बचाव एवं आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 10 सितम्बर, 2020 तक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया था।

अतः पूर्व में जारी उपर्युक्त प्रतिबंधों से संबंधित समस्त आदेश में संशोधन करते हुए फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर जिले के नगरीय निकाय— दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली, जामुल एवं कुम्हारी में निम्न आदेशों के अधीन दिनांक 20 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक पूर्ण लॉक डाउन हेतु निम्नानुसार आदेशित किया जाता है:-

1. जिले में स्थित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी कार्यालय एक तिहाई अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ निर्धारित समयावधि में संचालित रहेंगे।
2. जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थान/ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे। केवल प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाईन क्लासेस की अनुमति होगी।

3. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, जिम, थिएटर एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे।
4. धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा-अर्चना की जा सकेंगी किन्तु धार्मिक/सांस्कृतिक/सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
5. जिले के प्रतिबंधित शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवायें, जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्षा, ई-रिक्षा, रिक्षा इत्यादि भी शामिल हैं, प्रतिबंधित रहेंगी।
6. अंतर्रजिला एवं अंतरराज्यी बस परिवहन सेवायें चालू रहेंगी।
7. मारक, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने वाले वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवायें वाले वाहन को परिवहन की अनुमति रहेगी।
8. रवाण्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है) निर्बाध रूप से संचालित रहेंगे।
9. जिले में निम्नलिखित व्यवसाय/प्रतिष्ठान के अतिरिक्त अन्य सभी पकार के व्यवसाय/प्रतिष्ठान प्रतिबंधित रहेंगे।

क्र.	वर्ग	समय
1	सब्जी, मटन, मछली, फल	प्रातः 5.00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक
2.	डेयरी केवल दूध व्यवसाय	प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक
3	रेस्टोरेंट/होटल केवल होम डिलीवरी (No take away)	प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
4	दवा दुकानें/मेडिकल स्टोर्स/चश्मा दुकाने	समय की पाबंदी से छूट रहेगी।
5	डीजल/पेट्रोल पम्प/एल.पी.जी. एवं सी.एन.जी.	सायं 3.00 बजे तक।

10. दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली, जामुल एवं कुम्हारी नगरीय निकाय क्षेत्र अन्तर्गत स्थित समस्त शराब की दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
11. जिले के प्रतिबंधित नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त ढाबा पूर्णतः बंद रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। केवल होम डिलीवरी को निर्धारित समय अनुसार अनुमति रहेगी।
12. होटलों में लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
13. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट) संचालित रहेंगे।
14. पूर्व में विवाह हेतु प्राप्त अनुमति मान्य होगी।
15. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.30 बजे एवं सायं 5.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक समस्त दिवसों के लिये अनुमति दी जाती है।

16. पपर अवतरण करने वाले हाक्स का प्रातादवस प्रातः 6:00 बज से प्रातः 9:00 बजे तक अनुमति रहेगी ।
17. प्रतिबंधित क्षेत्र अन्तर्गत समस्त साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे ।
18. नगरीय निकाय सोशल डिस्ट्रॉनिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा अनुसार वर्तमान में संचालित दैनिक हाट बाजार को शिफ्ट कर सकेंगे ।
19. जिले में फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त इकाईयां भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी ।
20. आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहनों (मेडिकल इमरजेंसी वाणिज्यिक कार्गो) के परिवहन की अनुमति रहेगी ।
21. सभी दुकानों के सामने दुकानदार को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा ।
22. सभी व्यापारियों को अपने दुकान/संस्थान विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क/वितरण किया जाए तत्पश्चात अन्य वस्तु/सवाओं का विक्रय किया जावे । इसी प्रकार प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा ।
23. सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा इत्यादि खाकर थुकना प्रतिबंधित रहेगा ।
24. पूर्व के ही समान किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस इत्यादि पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा ।
25. पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें निर्बाध रूप से संचालित रहेगी ।
26. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है, जेल, अग्निशमन सेवायें, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आईटी, आधारित सेवायें, पेट्रोल/डीजल पम्प एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पोस्टल सेवायें, निर्बाध रूप से संचालित रहेगी ।
27. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कार्मस आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) निर्बाध रूप से संचालित रहेगी ।
28. अनन्वरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (Mines)। कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के शर्तों पर संचालित रहेंगे ।
29. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में समिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें गण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मणिडया भी शामिल हैं । कृषि व्यवसाय हेतु कृषि उपकरण, खाद बीज आदि की संचालित रहेंगी ।

- क. (1) विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो Home Quarantine की निगरानी में रखे गये हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित Quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (2). कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने की स्थिति में कट्टेमेंट जोन में पूर्व की भाँति सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
- (3). मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, दुर्ग में भी 24 घंटे सेवा हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0788-2210773 है। साथ ही 108 की सेवायें भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
- (4). जिले में स्थित सभी शासकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवायें 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

स. महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके सन्दर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13.3.2020 के सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यदि किसी भी व्यावसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिये सील कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अतिम होगा।

यह आदेश दुर्ग जिले के दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली, जामुल एवं कुम्हारी नगरीय क्षेत्र के लिये दिनांक 30 सितम्बर 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।

आज दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


 (डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
 दुर्ग